

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

क्रमांक:-एफ-1 ()स्थापना / 2020 /

दिनांक:-14.10.2020

-:आदेश:-

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 दिव्यांगजन कैरी फॉरवर्ड पदों के विरुद्ध गैर अनुसूचित क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक/प.1(2)प्रसु/अनु-3/2020 दिनांक 24.9.2020 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्न अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिडयूल IV के तहत लेवल-5 में 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है:-

क्र. स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	नियुक्ति/पदस्थापन कार्यालय का नाम	चयन संवर्ग
1.	27397	2413418	श्री विमल मीणा पुत्र श्री मेघराज मीणा	11.6.1992	ST	उपखण्ड कार्यालय बारा प्रतिनियुक्ति सहायता अनुभाग जिला कार्यालय बारां	LDCP
2.	27756	2143629	श्री प्रदीप मेहता पुत्र श्री रमेशचन्द्र	12.6.1997	OBC	उपखण्ड कार्यालय किशनगज	LDCP

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ. 11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प./ सामान्यअवि /2015/ 54159/दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/ 68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अधीन पूर्णतया अस्थायी रूप से रहेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत



*Corrected
15-10-2020*

